

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी निकाय का नाम | जिलाधिकारी/जनपद |
|----------|--|---------------------|
| 1 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद | जिलाधिकारी, सीतापुर |
| 2 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिसवाँ | जिलाधिकारी, सीतापुर |
| 3 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, धामपुर | जिलाधिकारी, बिजनौर |
| 4 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर | जिलाधिकारी, बिजनौर |
| 5 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शेरकोट | जिलाधिकारी, बिजनौर |
| 6 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलग्राम | जिलाधिकारी, हरदोई |
| 7 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिहानी | जिलाधिकारी, हरदोई |
| 8 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज | जिलाधिकारी, गोण्डा |
| 9 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, करनैलगंज | जिलाधिकारी, गोण्डा |
| 10 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खैर | जिलाधिकारी, आजमगढ |

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं हैं और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिकाणी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी निकाय का नाम | कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में) |
|----------|--|---|
| 1 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद | 140.00 |
| 2 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिसवाँ | 50.00 |
| 3 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, धामपुर | 25.00 |
| 4 | अध्यक्ष/अधिकाणी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर | 50.00 |



| | | |
|----|---|-------|
| 5 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शेरकोट | 50.00 |
| 6 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलग्राम | 90.00 |
| 7 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिहानी | 40.00 |
| 8 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज | 50.00 |
| 9 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, करनैलगंज | 50.00 |
| 10 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खैर | 50.00 |

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिकाारी निकाय का नाम | जिलाधिकारी/जनपद |
|----------|---|--------------------------|
| 1 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, नौतनवां | जिलाधिकारी, महाराजगंज |
| 2 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, महाराजगंज | जिलाधिकारी, महाराजगंज |
| 3 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, जमनियां | जिलाधिकारी, गाजीपुर |
| 4 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद | जिलाधिकारी, गाजीपुर |
| 5 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, गोलागोकरण नाथ | जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी |
| 6 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, गुलावटी | जिलाधिकारी, बुलन्दशहर |
| 7 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, गुरसाहयगंज | जिलाधिकारी, कन्नौज |
| 8 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद | जिलाधिकारी, फिरोजाबाद |
| 9 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, गंगोह | जिलाधिकारी, सहारनपुर |
| 10 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, नानपारा | जिलाधिकारी, बहराइच |

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं हैं और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिकाारी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिकाारी निकाय का नाम | कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में) |
|----------|---|---|
| 1 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, नौतनवां | 25.00 |
| 2 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, महाराजगंज | 75.00 |
| 3 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, जमनियां | 50.00 |
| 4 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद | 95.00 |
| 5 | अध्यक्ष/अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, | 50.00 |

दिनांक


| | गोलागोकरण नाथ | |
|----|---|-------|
| 6 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावटी | 40.00 |
| 7 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुरसाहयगंज | 25.00 |
| 8 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद | 50.00 |
| 9 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगोह | 40.00 |
| 10 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नानपारा | 10.00 |


2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रु0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।


प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम | जिलाधिकारी/जनपद |
|----------|--|------------------------|
| 1 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पुवायां | जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर |
| 2 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोरों | जिलाधिकारी, कासगंज |
| 3 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पुरनपुर | जिलाधिकारी, पीलीभीत |
| 4 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिसौली | जिलाधिकारी, बदायूँ |
| 5 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सहसवान | जिलाधिकारी, बदायूँ |
| 6 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाह | जिलाधिकारी, आगरा |
| 7 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहगंज | जिलाधिकारी, जौनपुर |
| 8 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज | जिलाधिकारी, देवरिया |

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

| क्रम सं० | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम | कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में) |
|----------|--|---|
| 1 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पुवायां | 40.00 |
| 2 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोरों | 35.00 |
| 3 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पुरनपुर | 25.00 |
| 4 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिसौली | 90.00 |
| 5 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सहसवान | 30.00 |
| 6 | अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाह | 30.00 |

Signature

Signature

| | | |
|---|---|-------|
| 7 | अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहगंज | 30.00 |
| 8 | अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज | 35.00 |


2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भगदीय,

 (उमा शंकर सिंह)
 उप सचिव।
